प्रतिवादी नं० 1 ता 4 उपस्थित है। पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि भूमि ख० नं० $\frac{2023}{1.00}$ ग्राम उदेईकलां रतन्या बैरवा की खातेदारी की भूमि रही है। रतन्या के मरने के बाद इसकी विरासत वादीगण के नाम दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु प्रतिवादी बन्नीलाल व बाबूलाल के नाम दर्ज कर दी गई क्योंकि इनके पिता का नाम भी रतन्या था। अतः ख० नं० $\frac{2023}{1.00}$ ग्राम उदेईकलां में $\frac{1}{2}$ हिस्से में दर्ज प्रतिवादी बाबूलाल व बन्नीलाल का नाम हटाया जाकर इनके स्थान पर वादी धारा, कमला, सेडो के नाम खातेदारी दर्ज कर दी जावे।

प्रस्तुत राजीनामे पर उभयपक्षकारों को सुना गया। प्रतिवादी नं० 1 लगायत 5 ने राजीनामा सही होना स्वीकार किया है। प्रतिवादी बन्नीलाल व बाबूलाल के बयान भी लिए गए। इन दोनो प्रतिवादीगण ने भूमि ख० नं० 2023 की जमीन से इनका कोई वास्ता नही होना तथा जमीन का $\frac{1}{2}$ हिस्सा इनके नाम गलत रूप से दर्ज कर देने की बात अपने बयानो मे दर्ज कराई है।

प्रस्तुत वाद मे संलग्न नकल जमाबंदी सं० 2039, नकल जमाबंदी सं० 2069 से 2072 का अवलोकन किया। भूमि ख० नं० $\frac{2023}{1.00}$ ग्राम उदेईकलां मे सोन्या, रतन्या पिता बिरज्या हि० बा० की खातेदारी दर्ज है। नकल जमाबंदी सं० 2069 से 2072 के अनुसार ख० नं० 2023 की खातेदारी सोन्या पुत्र बिरज्या हि० $\frac{1}{2}$, बन्नीलाल, बाबूलाल पि० रतन्या बैरवा हि० $\frac{1}{2}$ के नाम दर्ज है। अर्थात रतन्या की मृत्यु के बाद उसके $\frac{1}{2}$ हिस्से की भूमि प्रतिवादी नं० 1, 2 के नाम दर्ज कर दी गई है। राजीनामे मे व बयानो मे प्रतिवादी नं० 1, 2 ने ख० नं० $\frac{2023}{1.00}$ की भूमि उनके नाम गलत रूप

सेडो

किशनलाल

निशानी

कि० - रामकिशोर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की तामील में जारी
	से दर्ज हो जाने की बात कही है। दूसरी ओर वादीगण ख०नं० 2023 में 1/2 हिस्से की भूमि उनके नाम दर्ज करने हेतु दावा लेकर आए हैं। इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेख जमाबंदी, राजीनामा व बयान प्रतिवादी नं० 1, 2 से वादीगण का वाद प्रमाणित होता है।	
	अतः पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद बरूए राजीनामा डिक्री किया जाता है एवं भूमि ख०नं० 2023/1.00है० ग्राम उदेईकलां में 1/2 हिस्से की भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस भूमि के वर्तमान इन्द्राज में दर्ज प्रतिवादी नं० 1 बन्नीलाल पिता रतन्या बैरवा व प्रतिवादी नं० 2 काबूलाल पिता रतन्या, बैरवा का नाम हजफ किया जाकर इनके स्थान पर धारा पुत्र रतन्या, कमला पुत्री रतन्या, सेडो पत्नि रतन्या का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	Ganga Pd (गंगाप्रसाद गुप्ता) सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी — (रवि कुमार शर्मा) सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी — (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

नम्बर व ...
अहकाम ज...
हुक्म की ...
में जारी

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) उदेईकलां

पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. धारा पुत्र रतन्या, बैरवा निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. कमला पुत्री रतन्या, बैरवा निवासी उदेईकला तहसील गंगापुर सिटी
3. सेडो पत्नि रतन्या, बैरवा निवासी उदेईकला तहसील गंगापुर सिटी ----वादीगण

बनाम

1. बत्तीलाल पुत्र रतन्या, बैरवा निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. बाबूलाल पुत्र रतन्या, बैरवा निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
3. गैंदया पुत्र सोन्या, बैरवा निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
4. हजारी पुत्र सोन्या, बैरवा निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
5. रामकिशन पुत्र सोन्या, बैरवा निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
6. काडी पुत्री सोन्या पत्नि हंसराज, बैरवा निवासी तेलरया का बाढ तहसील गंगापुर सिटी
7. मुक्ति पुत्री सोन्या पत्नि शिवजी, बैरवा निवासी तेलरया का बाढ तहसील गंगापुर सिटी ----प्रतिवादीगण
8. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

दावा घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 26/2014

वादीगण की ओर से वादी धारा, कमला व सेडो व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी बत्तीलाल बाबूलाल, गैंदया, हजारी, रामकिशन की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 14.7.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 2023 रकबा 1.00 हैक्टर ग्राम उदेईकलां में 1/2 हिस्से की भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस भूमि के वर्तमान इन्द्राज मे दर्ज प्रतिवादी नं0 1 बत्तीलाल पिता रतन्या बैरवा व प्रतिवादी नं0 2 बाबूलाल पिता रतन्या बैरवा का नाम हजफ किया जाकर इनके स्थान पर धारा पुत्र रतन्या, कमला पुत्री रतन्या, सेडो पत्नि रतन्या का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

आज तारीख 14.7.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर) सत्यमेव जयते

मुनिदेव यादव
उपखण्ड अधिकारी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ....रूपय पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

प्रपत्र-4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुरसिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :— उदेईकलां

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक 14.7.2015

...न पीठासीन अधिकारी महोदय,
...गापुर सिटी

प्यारा वगै. बनाम बन्नीलाल वगै.

...संख्या 26/2014 अन्तर्गत धारा दावा 88, 188 R.T.Act

...क्त प्रकरण में प्रार्थी / वादी श्री प्यारा, कमला, सेड़ो
... कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो ... हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।
... आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

... खसरा नं. 2023/1.00 ग्राम उदेईकलां रतन्या बैरवा की खातेदारी की भूमि रही है रतन्या ... मरने के बाद उसकी विरासत वादीगण के नाम दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु प्रति. ... बन्नीलाल तथा प्रतिवादी नं. 2 बाबूलाल के नाम दर्ज कर दी गई क्योंकि इन दोनों ... पिता का नाम भी रतन्या था एवं उसकी भी मृत्यु हो चुकी थी। अतः खसरा नं. 2023/1.00 ... उदेईकलां में ½ हिस्से में दर्ज प्रतिवादी बन्नीलाल व बाबूलाल का नाम हटाया ... कर इनके स्थान पर वादी प्यारा, कमला, सेड़ो वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज कर दी जावे व दावा डिक्री कर दिया जावे।
...श्रीमान से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमे का निस्तारण करने की कृपा करें। चार।

प्यारा पुत्र रतन्या
कमला पुत्री रतन्या
सैड़ो पुत्री रतन्या

प्रतिवादी पक्ष 1. बन्नीलाल
2. बाबूलाल बाबूलाल
3. गेंदया
4. हजारी

... हस्ताक्षर
नाम ...

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर ...
(प्रतिवादी पक्ष) नाम ...

.../वादी प्यारा, कमला, सैड़ो एवं अप्रार्थी / प्रतिवादी बन्नीलाल वगैरा
... द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामे की इबारत को सुन व समझ कर सही होना ... गया। अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)
(गंगा प्रसाद गुप्ता) (रवि कुमार शर्मा)
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(मुनिदेव यादव)
पीठासीन अधिकारी
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी